ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

'बीजोलिया शिलालेख के सन्दर्भ में सामाजिक परिदृश्य'

Social Landscape in The Context of Bijolia Inscription

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

राजमल मालव
सह–आचार्य,
संस्कृत विभाग,
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

उमा बडोलिया
सह–आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

ब्राह्मण को हिन्दू समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था ये धार्मिक कार्यों को सम्पादित करते थे। प्राचीन काल में महाराजाओं की तरफ से इन्हें दान में काफी धन मिल जाता था, जिसे इनका भरण–पोषण होता था। क्षत्रियों का कार्य पढ़ना और देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना था। क्षत्रिय केवल शस्त्र ही नहीं चलाते थे वरन् लेखन द्वारा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सृजन करते थे चौहान नरेश विग्रहराज का 'हरि केल नाटक' आज भी शिलालेखों पर अंकित मिलता है। बिजोलिया क्षेत्र में चाहमान वंश के क्षत्रिय निवास करते थे। वहां के पृथ्वीराज, अर्णोराज, सोमेश्वर आदि चाहमान (चौहान) वंश के थे। बागड़िया चौहान भोमियों में रहने वाले भील थे। ये लोग अपने को राजपूत मानते थे किन्तु राजपूतों के साथ खाना–पीना इनका नहीं होता था। बागड़िया चौहान बहुत ही वीर होते थे। युद्ध में यह भी भाग लेकर अपनी वीरता दिखाते थे। ये बागड़ में रहने के कारण ही बागड़िया चौहान कहलाये।वैश्य आर्थिक दृष्टि से समाज के प्रमुख्य स्तम्भ तो थे ही, वे शासन के संचालन में भी भाग लेते थे। कभी–कभी मंत्री का पद भी दे दिया जाता था।शूद्रों को हीन दृष्टि से देखा जाता था तत्कालिन क्षेत्र में भीलों का महत्व था इनमें से कुछ भील अपने को क्षत्रिय भी समझते थे।वर्णों में परस्पर मधुर संबंध थे कभी–कभी एक दूसरी जाति में विवाह संबंध भी होते थे।बहु–विवाह की दूषित प्रथा भी प्रचलित थी। तत्कालीन काल में अनुलोम विवाह होता था। किन्तु प्रतिलोम विवाह बहुत प्रचलित नहीं था। आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार का प्रचलन था। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।

बिजोलिया क्षेत्र की शासन व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी, वहां की शासन प्रबन्ध के बारे में शिलालेखों में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय में राजतंत्रात्मक शासन चल रहा था। प्रायः राजा वंशानुगत होता था।बिजोलिया के लेख से राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों सामान्त दण्डनायक राणक वर (उपाधी) आदि शब्दों से शासन समुदाय के व्यक्तियों का बोद्ध होता है। सामन्त के अधिस्य होता या पूर्व मध्य युग में इसे महासान्त कहा जाता था।शत्रु द्वारा राज्य सीमा पर आक्रमण करने पर उसका प्रतिरोध करने के लिए कर व्यवस्था थी, उस कर को 'तुरूष्क' दण्ड कहते थे। शासन प्रबन्ध में नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। शिलालेख में कोई भी पाप कर्म में लीन नहीं होता था और नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था।

''युवराज'':–राजा अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे, जिसे युवराज कहा जाता था।रानी–महारानीमहामंत्री या महामात्य :–प्रतिज्ञागणकों :–द्वादशक :–पथक :–मण्डल :–भुक्ति :–सान्धिविग्रहिक या विदेशमंत्री :–न्यायाधिकारी या धर्मस्य :–बिजोलिया क्षेत्र सम्पन्न एंव आर्थिक सुदृढ़ क्षेत्र था। इस कारण यहां पर अनेक कलात्मक बावड़ियां, तालाबों, मठों का निर्माण समय–समय पर होता रहा है।

Brahmins had high status in Hindu society, they performed religious works. In ancient times, they used to get a lot of money from the Maharajas, who used to feed them. The work of the Kshatriyas was to study and remain committed to protect the country. The Kshatriyas did not only wield weapons, but also created important texts by writing, the 'Hari Kel drama' of Chauhan Naresh Vigrahaja is still inscribed on inscriptions even today. The Kshatriyas of the Chahman dynasty resided in the Bijolia region. Prithviraj, Arnoraj, Someshwar etc. belonged to Chahman (Chauhan) dynasty. The Bagdia Chaihan were Bhils living in the Bhomis. These people considered themselves Rajputs, but they did not have food and drink with Rajputs. Bagadia Chauhan was very brave. They also showed their valor by participating in the war. These were called Bagadia Chaihan because of their stay in Bagdar. Vaishya was economically the main pillar of the society, he used to participate in the administration of the government. Sometimes the post of a minister was also given. The Shudras were looked upon with inferiority. The Bhils had importance in the immediate area. Some of these Bhils also considered themselves Kshatriyas. The Varnas had mutual relations, sometimes another caste. There were also marriage relations. The corrupt practice of multi-marriage was also prevalent. Anulom marriages took place in the erstwhile era. But inverse marriage was not very popular. The first four were prevalent in eight types of marriages. Brahma marriage was considered to be the best.

The governance of the Bijolia region was very strong, there is ample information in the inscriptions about the governance of the area. Monarchical rule was underway at the time. Often the king was hereditary. From the words of Bijolia, the people of the ruling community are enlightened by the words of the various office bearers of the state, namely, Dandanayaka Ranak Var (Upadhi). It was called the Mahasantha of the feudal lords or in the Middle Ages. There was a tax system to resist the invasion of the state border by the enemy, that tax was called 'trumpet' punishment. Ethics were completely followed in the administration. In the inscription no sin was absorbed in karma and morality was completely followed.

"Yuvraj": - The king used to appoint his successor during his lifetime, who was called the crown prince. Queen-Queen, Minister or Grand Priestess: -Representatives: -Dvadasak: -Pathak: -Mandal: -Bhakti: -Sandhivigrahik or Foreign Minister: Jurisdiction or Religion: - Bijolia region was a prosperous and economically sound region. Due to this, many artistic steps, ponds, monasteries have been constructed here from time to time.

मुख्य शब्द : चाहमान, भाग–भोग, भाण्डागारिक, महासंधि विग्रहित, कोटपालदुर्ग, अक्षपट्टालिक, पथक, दण्डपाशिक, अन्तःपुरिक, चोर–धरणिक, महाधर्माध्यक्ष, स्थानाधिकारी
Chahman, Bhag-bhog, Bhandarik, Mahasandhi Deity, Kotpaldurg, Akshapattalik, Pathak, Dandashik, Interpurpose, Chor-Dharanik, General Head, Officer

प्रस्तावना

बीजोलिया शिला लेख में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विद्यमान है जिससे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता हैं बिजोलिया क्षेत्र में वर्ष व्यवस्था विद्यमान थी, इसकी पुष्टि वहां पर प्राप्त अभिलेखों से होती है, यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के लोग निवास करते थे।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि, राजस्थान के इतिहास में बिजोलिया क्षेत्र का हमेशा से ऐसा नही है, जो शोषित धारा में नहीं सींचा गया हो, इस कारण राजस्थान की वीर प्रसविनी भूमि का इतिहास जानने की प्रत्येक व्यक्ति को जिज्ञासा होती हैं।

राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने के लिए सबसे अधिक विश्वस्त साधन शिलालेख है, जहाँ अन्य साधन मूक अथवा अस्पष्ट है, वहाँ इतिहास अवलोकन में इन शिलालेख से हमें बड़ी सहायता प्राप्त होती है।

इसी उद्देश्य से शिलालेखों के माध्यम से 'बीजोलिया क्षेत्र के संस्कृत शिलालेख'' में ''वर्णित'' सामाजिक परिदृश्य को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया हैं।

सामाजिक व्यवस्था

ब्राह्मण

ब्राह्मण को हिन्दू समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था ये धार्मिककार्यों को सम्पादित करते थे। प्राचीन काल में महाराजाओं की तरफ से इन्हें दान में काफी धन मिल जाता था, जिसे इनका भरण–पोषण होता था। पुरोहित का कार्य करना उनका मुख्य कार्य था, समाज में ब्राह्मणों का विद्या के कारण भी सम्मान एंव महत्वपूर्ण स्थान था। राजा का मंत्री प्रायः बुद्धिमान ब्राह्मण को ही दिया जाता था, धर्म और विज्ञान में प्रयत्न करने वाले ब्राह्मण कहलाते थे। उनमें बहुत से कवि ज्योतिषी दार्शनिक और देवज्ञ राजा के दरबार में रहते थे। कआलम सऊदी के अनुसार ब्राह्मण को समाज में आदर प्राप्त था इनके दो वर्ग मिलते हैं प्रथम पंच गौड़ दूसरा पंच द्रविड़। पहले ब्राह्मण में कोई जाति भेद नहीं था। उस समय से लोग ऋग्वेदी सामवेदी और अथर्ववेदी कहलाते थे। उनकी विशेष पहचान वेदों की शाखा के अनुसार होती थी, परन्तु जब विन्ध्याचल के पार दक्षिण में ये लोग जा बसे तो हिमालय से विन्ध्याचल के बीच में रहने वाले पंच गौड़ अर्थात् 1. गौड़ 2. कान्यकुब्ज 3. सारस्वत 4. मैथिल 5. उत्कल और विन्ध्याचल से रामेश्वर तक रहने वाले पंच गौड़ यथा– 1. द्राविड़ 2. तेलंग 3. कर्नाटक 4. महाराष्ट्र और 5. गुजर देखों के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन जब मुसलमानों ने भारत में आकर जातीय व्यवस्था को नष्ट करना प्रारम्भ किया तब से ब्राह्मणों तथा अन्य जातियों में भी अनेक उपजातियां बन गई और उनके आचार–विचार में काफी अन्तर आ गया। लगभग सम्पूर्ण राजपूताना के ग्रामीण ब्राह्मण जिनको ग्राम तथा जमीन उदक में मिले थे, वे बिल्कुल कृषि कर्म करने वाले हो गये और जिनके पास जमीन नहीं वे मृत्यु वृत्ति आदि करने लगे।

क्षत्रिय

क्षत्रियों का कार्य पढ़ना और देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना था। क्षत्रिय केवल शस्त्र ही नहीं चलाते थे वरन् लेखन द्वारा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सृजन करते थे चौहान नरेश विग्रहराज का 'हरि केल नाटक' आज भी शिलालेखों पर अंकित मिलता है। शासक राजपूतजाति के होते थे।

ये लोग ही शासन करते थे, पूर्वकाल में अर्थात् वि0सं0 12 में शतक से लेकर ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियों में भी बहुत सी पृथक–पृथक जातियों हो गई थी जिनकी गणना करना कठिन है। लेकिन उसमें क्षत्रियों के कुल 36 वंश निश्चित हुए, जिनमें से 16 सूर्यवंशी, 16 चन्द्रवंशी और 4 अग्निवंशी थे।

इन 36 वंशों में से बहुत से नष्ट हो गये और कई वंशों की उपशाखाओं को लोगों ने अपना वंश समझ लिया इस गड़बड़ी से 36 वंशों की गणना का क्रम कठिन हो गया इसलिए सर्वप्रथम वर्धमान समय में लोग क्षत्रियों के जिन प्रचलित वंश की शाखा प्रतिमाओं को मानते थे। वे इस प्रकार हैं–

सीसोदियों की 25 शाखा

1. गुहिलोत 2. सीसोदिया 3. पीपड़ा 4. मांगलिया 5. मगरोपा 6. अजवरचा 7. केवला 8. कंपा 9. भीमल 10. घोरख्या 11. हल 12. गोधा 13. आहड़ा 14. नांदोत 15. शोबा 16. आशायच 17. बाटा 18. कोठा 19. करा 20. भटेवर 21. मंडोत 22. धालरया 23. कुचेला 24. दुसंध्या 25. गढ़ेचा।

चौहानों की 10 शाखा

1. खीचीं 2. हाड़ा 3. बालहेड़ा 4. सोनगरा 5. मादढ़ेचा 6. मालव 7. भील 8. भागढेचा 9. सौचोरा 10. बागत 11. बागड़िया 12. चालशाखा 13. यववधण 14. जोजा 15. भमरेजा 16. बालोत 17. बरड़ 18. देवड़ा।

परमारो की 35 शाखा

परमार, सोठा, सांखला, चावड़ा, खेह, खेजड़, सागर, पड़कोड़ा, भायल, भीमल, काला, परमार, कांबा, कालमुहा, डोडा, उमर, धांधु, सुमरा, रेवर, कालेज, काहरया, बाठैल, ठीठा, ठेबा, बेहका, बोठ, बगहला, जीपा, सायरया, शंकमुहा, ठीक, सूठा, फटक, बरड, हंमड।

झालाओं की 9 शाखाः–

झाला, मकवाणा, रेणवां, लुणगा, खरलायत, बालायत, वहा, पीठढ, बापड़।

राठौड़ों की 13 शाखा :–

दोनसुरा, अभ्यपुरा, कपालिया, करहा, जलखेड़िया, बुगलाना, अरह, पाकेश, चंदेल, वीर, बरयावर, खेरबंदा, जैवंत।

सोलंकियों की 24 शाखा

सोलंकी, बालणोत, बागेला, टहल, कुटबहाड़ा, आलमोच, शेष, खेड़ा, तवड़क्या, महलगोता, बोघेला, बासूंढा, बढपुटा, राण्क्या, जलावड़ा, भाड़ग्या, वीरपरा, नाथावत, खटड़, हराहर, कांगल, बलहर, चुडधामण, बाहेड़ा।

अध्ययन के उद्देश्य

बड़गुजर, शकरवाल।

ईदों की 2 शाखाः–

ईदां, पडिहार।

भाटियों की 7 शाखा :–

भाटि, जाटव, बाहेड़ा, जाडेचा, बोधा, लहवा, भाड़ेच।

गौड़ों, की 6 शाखाः–

गौड़, उटेड़, शालियाना, टावर, दुहाणा, बाड़ोणा।

बिजोलिया क्षेत्र में चाहमान वंश के क्षत्रिय निवास करते थे। वहां के पृथ्वीराज, अर्णोराज, सोमेश्वर आदि चाहमान (चौहान) वंश के थे। बागड़िया चौहान भोमियों में रहने वाले भील थे। ये लोग अपने को राजपूत मानते थे किन्तु राजपूतों के साथ खाना–पीना इनका नहीं होता था। बागड़िया चौहान बहुत ही वीर होते थे। युद्ध में यह भी भाग लेकर अपनी वीरता दिखाते थे। ये बागड़ में रहने के कारण ही बागड़िया चौहान कहलाये।

वैश्य

यह लोक महाजन तथा बनिये कहलाते थे, इन लोगों की 84 शाखाएं थी, जिनमें से राजपूतानों में 12 प्रसिद्ध हैं, ये बौद्ध और जैन मतावलंबी होने के कारण अहिंसा धर्म स्वीकार कर कृषि–वाणिज्य को ही अपना मुख्य धंधा समझते थे।

वैश्य आर्थिक दृष्टि से समाज के प्रमुख्य स्तम्भ तो थे ही, वे शासन के संचालन में भी भाग लेते थे। कभी–कभी मंत्री का पद भी दे दिया जाता था। ये युद्धों में भी कभी–कभी भाग लेते थे। किसानों की खेती तथा धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए वे ही ऋण देते थे। किसान की अतिरिक्त पैदावार को वे ही खरीदते थे और आवश्यक वस्तुएं वे ही बेचते थे। एक प्रकार से साहूकार 'महाजन' किसान का बैंकर था, इस कारण किसान पीढ़ी दी पीढ़ी बंधे रहते थे।

शूद्र

शूद्रों को हीन दृष्टि से देखा जाता था तत्कालिन क्षेत्र में भीलों का महत्व था इनमें से कुछ भील अपने को क्षत्रिय भी समझते थे। यहां पर भील, मीणा, गरासिया, चमार, हरिजन आदि रहते थे। इनकी सेवाकों में की जाती थी क्षत्रियों में अधिकांशतः बड़ा पुत्र पिता की सम्पत्ति का स्वामी होता था और वह ही राज्य का स्वामी भी होता था तथा शेष छोटे पुत्र कितने भी हों उनकी पैतृक सम्पत्ति में से गुजांईश के अनुसार खर्च के लिए थोड़ा–थोड़ा हिस्सा दिया जाता था। लेकिन उनको बड़े भाई की सेवा करनी पड़ती थी।

विवाह

वर्णों में परस्पर मधुर संबंध थे कभी–कभी एक दूसरी जाति में विवाह संबंध भी होते थे। कवि राज शेखर का विवाह अवन्ति सुन्दरी नामक क्षत्रिय कन्या से हुआ था। बहु–विवाह की दूषित प्रथा भी प्रचलित थी। तत्कालीन काल में अनुलोम विवाह होता था। किन्तु प्रतिलोम विवाह बहुत प्रचलित नहीं था। आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार का प्रचलन था। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।

शासन व्यवस्था

बिजोलिया क्षेत्र की शासन व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी, वहां की शासन प्रबन्ध के बारे में शिलालेखों में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय में राजतंत्रात्मक शासन चल रहा था। प्रायः राजा वंशानुगत होता था। राजा को परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता था राजा के अधिकार असीमित होते हुए भी मंत्री सेनापति जैसे अधिकारी भी नियुक्त होते थे, इन अधिकारियों के अधिकार पर्याप्त होते हुए भी राज्य के अधीन होते थे। राजा इच्छानुसार सब कुछ कर सकता था। वहां के लेखों से ज्ञात होता है कि राज्य सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था वह सर्वशाक्तियों का स्त्रोत होता था, तथा वह न्याय और सेना दोनों विभागों का सर्वेसर्वा होता था, राजा राजकीय कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए मंत्रीपरिषद् का गठन करता था। राजा के बाद रानी पटरानी या अग्रगहिणी का महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान था इसे राजा के परामर्श से दान का अधिकार था राजा अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे जिसे युवराज कहा जाता था। ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद मिलात था राजा राज्य प्रशासन में अपने मंत्रियों का चयन करता था। बिजोलिया के लेख से राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों सामान्त दण्डनायक राणक वर (उपाधी) आदि शब्दों से शासन समुदाय के व्यक्तियों का बोद्ध होता है। सामन्त के अधिस्य होता या पूर्व मध्य युग में इसे महासान्त कहा जाता था।

दण्डनायक न्यायविभाग का अधिकारी होता था इसके लिए महादण्डनायक शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। गुप्त युग में भीटा के लेख में दण्ड नायक श्री शंकर दत्तस्य का उल्लेख मिलता है।

विदेश मंत्री महासंधि विग्रहित कहलाता था अर्थ मंत्री अमात्य पुरोहितों का धर्म पुरोहित तथा महापुरोहित मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य धर्माधिकारी होते थे जैसे कोटपालदुर्ग या सीमा की रक्षा करने वाला

भाण्डागारिक – भण्डार की देख–रेख और व्यवस्था करने वाला।

अक्षपट्टालिक – राजकी पत्रावलियों की देख–रेख करने वाला।

दण्डपाशिक– पुलिस का अधिकारी।

अन्तःपुरिक – राजमहल की स्त्रियों की दैनिक आश्यकताओं की पूर्ति करने वाला।

चोर–धरणिक – चोर पकड़ने वाला

स्थानाधिकारी– थानेदार

महाधर्माध्यक्ष– न्यायविभाग के उच्चाधिकारी।

भाग–भोग – आय–व्यय के अधिकारी।

दूत–प्रतिहार – अन्य अधिकारी।

एक राजपुरोहित होता था जो धार्मिक कार्यों का सम्पन्न करवाता था तथा शासक को उचित परामर्श देता था शासन व्यवस्था की सुचारूता के लिए शासक का

विकेन्द्रीयकरण किया जाता था शासन के सबसे छोटी इकाई ग्राम थे, ग्राम की शासन व्यवस्था के लिए पंचायत होती थी, विषय, भुक्ति, मण्डल, पृथक, अग्रहार, प्रतिज्ञागणकों, पट्टला आदि शासन की अन्य इकाईयों थी अतः राजा के सहयोगकर्त्ताओं में पुरोहित सेनापति दुर्गपाल आदि थे ।

शासन प्रबन्ध करने के लिए कई छोटे–छोटे जमीदार (सामन्त) थे जो तीन भागों में विभाजित थे पहले दर्जे के सरदार सोलट और दूसरे दर्जे के बत्तीस कहलाते थे। तीसरे दर्जे में छोटे–छोटे मुआफिजदार थे जो गुडाबंदी नाम से प्रसिद्ध थे।

सामान्तों की तीन श्रेधियों थी। प्रथम श्रेणी के सामन्त 19, द्वितीय श्रेणी के सामन्त 32 थे, जो एक प्रकार से अर्थ स्वतंत्रत शासक होते थे, उन्हें बहुत अधिक न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, तीसरी श्रेधी के सामन्त सेकड़ों की संख्या में थे, वे भी बहुत अधिक प्रभावशाली होते थे।
मेवाड़ की नजदीकी रिश्तेदारों में बिजोलिया के राव प्रथम श्रेणी के सामन्त थे। जो ठिकाने वाले कहलाते थे। प्रथम श्रेणी के सामन्त को राजा की तरफ से ताजीब और पैर में सोना पहनने का सम्मान प्राप्त था। प्रथम श्रेणी के सामन्त में प्रवेश करते हैं तो समस्त दरबार को ऊपर उठकर उसकी अभ्यर्थना करता हे, औरत तत्सम्बन्धी रस्में बहुत ही जटिल और उलझन भरी होती थी।

बिजोलिया के सामन्त (राव) मेवाड़ दरबार में विशिष्ट स्थान था।

पहले यह सामन्त अपने ठिकाने के दिवानी और फौजदारी मुकदमें का स्वंय फैसला करते थे, परन्तु बाद में इनके स्वेच्छाचारी हो जाने से इनसे यह अधिकार छीन लिये गये ।इन सामन्तों की खीराज के अतिरिक्त नियत सवार और पैदल सैनिकों के सहित राजा की सेना के साथ सेवा में उपस्थित होना पड़ता था। सेना में पैदल, अश्वरोही हाथी और रथ सम्मलित होते थे। राज्य की आय के अनेक श्रोत थे किन्तु मुख्य श्रोत कृषि या उसके अतिरिक्त खाद्य और खनिज पदार्थों पर भ कर लगाया जाता था। एक कर मण्डी का यामंतदाब नामक था जो आधुनिक चुंगी कर के सामन था। शत्रु द्वारा राज्य सीमा पर आक्रमण करने पर उसका प्रतिरोध करने के लिए कर व्यवस्था थी, उस कर को 'तुरूष्क' दण्ड कहते थे। शासन प्रबन्ध में नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। शिलालेख में कोई भी पाप कर्म में लीन नहीं होता था और नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके अभिलेखों में कहा गया है कि चौहानों का जन्म अरबों और तुर्कों के आक्रमणों से हिन्दू संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। इसमें संशय नहीं कि गोविन्द राज प्रथम के काल से लेकर पृथ्वीराज तृतीय के काल तक उन्होनें विदेशी और विधर्मी आक्रमणकारियों से हिन्दू धर्म की रक्षा की और बाद में रणथम्भौर से संघर्ष जारी रखा।

दसवीं शताब्दी के अन्त मे साकम्भरी के चौहानों का राज्य उत्तर में मीसर तक पूर्व में जयपुर तक दक्षिण में अजमेर के पास पुष्कर तक और पश्चिम में पर्वतसर (जोधपुर)तक फैला हुआ था।

गोविन्दराज का महमूद गजनवी से युद्ध

द्वितीय दुर्लभराज के पश्चात् साकम्भरी की गद्दी पर गोविन्दराज तृतीय बैठा उसको गण्ड भी कहा गया है। पृथ्वीराज विजय में उसको वैरीधत्त कहा गया है।
विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र पर बैठा परन्तु उसका सम्भवतः जगत देव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने वध कर दिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने थोड़े समय राज्य किया। 1169 ई. से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई उसका कोई पुत्र नहीं थे। अतः मंत्रियों ने अजमेर की गद्दी पर बैठने के लिए उसके चाचा सोमेश्वर (अर्णोराज का पुत्र) से प्रार्थना की।

सामेश्वर ने गद्दी पर बैठने के बाद कई मंदिर बनवाये यद्यपि वह स्वंय शैव था परन्तु दसने दूसरे सम्प्रदाय से भी अच्छ व्यवहार किया उसे बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक गावं दान में दे दिया।

सामेश्वर को गुजरात के शासक अजयपाल ने पराजित किया 1177 ई. में सामेश्वर की मृत्यु हो गई उस समय उसके लड़के पृथ्वीराज तृतीय की छोटी आयु थी अतः तीन वर्ष के लगभग उसकी माता कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से शासन की देखभाल की। 1180 ई. के लगभग पृथ्वीराज ने शासन संभाला।
पृथ्वीराज तृतीय को सिहांसन पर बैठते ही अपने चचेरे भाई नागार्जुन (विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र) के विद्रोह कह्या सामना करना पड़ा। यह विद्रोह बड़ा भयानम था, क्योंकि नागार्जुन सिंहासन के लिए दावेदार था। पृथ्वीराज ने इस विद्रोह का कठोरता से दमन किया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

''युवराज''

राजा अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे, जिसे युवराज कहा जाता था। ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद मिलता था। सामान्यतः राजा के जीवनकाल में ही ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित कर दिया जाता था। युवराज युद्ध व शांति के समय राजा की सहायता करता था, इससे उसकी योग्यता का भी पता चला जाता था और उसे शासन की शिक्षा राज्य के कार्य का अनुभव भी हो जाता था। कल्याणपुर के गुहिल शासकों द्वारा दिये गये दानपत्रों में राजा के बाद गुप्त युग में समुद्रगुप्त एंच चन्द्रगुप्त अपने–अपने पिता द्वारा चुने गये।

रानी–महारानी

राज्य में महादेवी या महारानी का पद सम्मानजनक था। प्रतिहार शासकों की मुहरों पर उनकी महादेवियों के नाम अंकित रहते थे अन्तरपुर में महारानी या महादेवी को विशेष अधिकार प्राप्त थे। प्रधानरानी को ट कहते थे और उसकी प्रतिष्ठा सभी रानियों से ऊंची होती थी। कतिपय जैन साहित्यिक ग्रन्थों में राजमहिषी या पटरानी शब्द का प्रयोग मिलता है। अन्य रानियों का पद क्रमानुसार निर्धारित होता था, परन्तु राजा अपनी इच्छानुसार यह क्रम बदल सकता था। कतिपय महारानियां अत्यन्त प्रभावशाली थी। जैसे चाहमान अजयराज की रानी सोमलादेवी का नाम सिक्कों पर अंकित किया गया था।

महामंत्री या महामात्य

राज्य में महामंत्री या महामात्य का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राजा स्वंय उसका आद करता था। राज्य के समस्त मंत्री, सामन्त और उच्चाधिकरी उसे सम्मानपूवर्क 'महामंत्री' कहकर अभिवादन करते थे। 'कुवलयमाला' के अनुसार महामंत्री का पद वंशानुगत होता था। तिलक मंजरी में महाप्रतिहारों के कर्त्तव्यों पर प्रभुत प्रकाश ढाला गया है।

पुरोहित या महापुरोहित

अध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में राजा प्रायः महापुरोहित से परामर्श करता था। उसके लिए व्यास शब्द का प्रयोग मिलता है। तिलकमंजरी में महापुरोहित या पुरोहित का उल्लेख मिलता हैं महापुरोहित ब्राह्मण विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया करता था।

न्यायाधिकारी या धर्मस्य

धर्मस्य न्याय विभाग का उच्चाधिकारी होता था। वह राजा को न्याय में सहयोग देता था। उसका मुख्य कार्य यह देखना था कि किसी के साथ अन्याय न हो।

महादण्डनायक

सैनिक प्रशासन का संचालन बलाधिकरण (सैनिक विभाग) द्वारा होता था। यह राजधानी या केन्द्र में स्थित होता था औरसेनापति तथा अनय सैनिक पदाधिकारियों के निर्देशन में कार्य करता था। सेना का सर्वोच्च पदाधिकार स्वय राजा होता था। जिसे महादण्डानायक या सेनापति कहते हैं।

समसायिक अभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रन्थों में कतिपाय सैनिक पदों उल्लेख हैं। उनमें सेनापति या महादण्डनायक दण्डनायक, बलाधिकृत, महायुद्धपति, पील्पति, अश्वपति, पायकाधिपति, कोटपाल और मर्यादाधुर्य विशेषतः उल्लेखनीय है।

दण्डानायक

महादण्डनायक के अधीन अनेक दण्डनायक होते थे। न्यायविभाग का अधिकार इसके लिए महादण्डनायक शब्द भी प्रयुक्त होता है, जिसमें दण्डनायक सोलण का उल्लेख हुआ है। निःसंदेह दण्डनायक सेना का एक उच्च पदाधिकारी था।

राणकवर

यह पदवी अधीनस्थ सामन्त के लिए प्रयुक्त की जाती थी बिजोलिया का शिलालेख इस पदवी को प्रमाणितकरता है। बिजोलिया के लेख में चामुण्ड के राजा राणकवर के उल्लेख हुआ है। जो अधीनस्थ सामन्त के लिए प्रयुक्त हुआ है।

सामन्त

राजा के अधीन जो शासक होता है उसे सामन्त या जागीरदार कहते हैं। इसे महासामन्त भी कहा जाता है। बिजोलिया के लेख में सामन्तों के सामन्त अर्थात् महासामन्त पूर्णतल नामक राजा उत्पन्नहै।

सान्धिविग्रहिक या विदेशमंत्री

सान्धिविग्रहिक शांति और युद्ध का मंत्री होता था, जिसे विदेशमंत्री भी कहा जाता है। सान्धिविग्रहिकसे दौत्यकला में प्रवीण तथा लोक में कुशल होने की अपेक्षा की जात थी यशस्तिलक चम्पू में सान्धिग्रहिक के गुणों का वर्णन है। किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाता था कि वह अध्ययनशील, कुशल–लेखक, भाषाविद् और विभिन्न लिपियों का ज्ञाता हो, विषमतम परिस्थितियों में भी विचलित न होता हो तथा सभी प्रकार की राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने में सखम हो। सान्धिविग्रहिकों को विशेष प्रयोजन से विदेशी शासकों, अधीनस्थ शासकों और सामन्तों के पास भी भेजा जाता था। गुहिल शासक अल्लट का सान्धिविग्रहिक दुर्लभराज था। पुथ्वीराज के काल में सोढ़ का पुत्र वामन सान्धिविग्रहिक था।

भुक्ति

साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई भुक्ति होती थी। प्रतिहार अभिलेखों में कान्यकुव्ज, श्रावस्ती इत्यादि भुक्तियों का उल्लेख हुआ हैं।

मण्डल

प्रत्येक भुक्ति अनेक मण्डलों में विभाजित होती थी। मण्डल के शासक को माण्डलिक या मण्डलेश्वर कहते थे। शाकम्भरी क्षेत्र एक मण्डल था, जिसका शासक माण्डलिक कहलाता था।

विषयः– मण्डल से छोटी इकाई विषय कहलाती थी। वि.सं. 1030 के हर्ष अभिलेख में चाहमान राज्य के पट्टबद्धक (सीकर जिले का पटौद) सरकोट्ट (मारोठ के निकट सरगोट का क्षेत्र) दरभकक्ष (ढाका, सीकज जिले में) खटकूप (खाट क्षेत्र) इत्यादि विषयों का उल्लेख हुआ है। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति या विषयी कहलाता था।

पथक

विषय पथक और खटेक इकाइयों में विभाजित थे। प्रतापगढ़ अभिलेख में शपुर पश्चिम पथक का उल्लेख हैं पटतरिशत पथक, चांलिसा पथक इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि पथक गांवों का समूह होता था। एक प्रमुख गांव के नाम पर उस पथक को सम्बोधित किया जाता था। वहीं गांव पथक के प्रशासन का केन्द्र होता था।

द्वादशक

पथक से छोटी इकाई द्वादशक कहलाती थी। चाहमान काल में तूण कूपक द्वादशक (12 गांवों का एक क्षेत्र) का उल्लेख वि.सं. 1030 के हर्ष अभिलेख में हुआ है। नाडोल तामपत्रों में भी 12 गांवों का उल्लेख हुआ है।

ग्रामः– प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ''ग्राम'' होती थी। गांव के प्रशासन का कार्य मुख्य रूप से गांव का मुखिया करता था। गांवों के समूह का अधिकारी 'ग्रामपति' कहलाता था। ब्राह्मणों को दान में दिये जाने वाले गांव परम्परानुसार 'अग्रहार' कहलाते थे।

राजस्थान के अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन पेज नं0 54

प्रतिज्ञागणकों

परमारों का मालव देश भी अनेक मण्डलों में विभाजित था। मण्डल विषयों तथा भागों में बटे होते थे। इनके प्रशासक क्रमशः माण्डलिक, विषयपति और गणपति कहलाते थे। विषय या भेाग पुनः विभिन्न पथों में विभाजित थे। पथक में अनेक नगर, कस्बे और गांव सम्मिलित होते थे। पथक पुनः अनेक प्रतिज्ञागणकों में विभक्त थे। प्रतिज्ञागणकों का उल्लेख वि.सं. 1243 के रेवास अभिलेख में तथा वि.सं. 1226 के बिजोलिया अभिलेख में हुआ है।

बिजोलिया क्षेत्र सम्पन्न एंव आर्थिक सुदृढ़ क्षेत्र था। इस कारण यहां पर अनेक कलात्मक बावड़ियां, तालाबों, मठों का निर्माण समय–समय पर होता रहा है।

मेनाल मठ के वि.सं. 1226 के एक अभिलेख के अनुसार ब्रह्ममुनि द्वारा शैव मठ का निर्माण करवाया गया।

बिजोलिया के अभिलेख से ज्ञात होता है कि, अजमेर में पुष्कर झील का निर्माण भी चाहमान शासकों ने करवाया।

बिजोलिया में रेवती नदी के किनारे पर रेवती कुण्ड का निर्माण करवाया गया, तत्कालीन जैन समाज में यह धारणा थी कि श्रीकुल, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, संतान और सुखादि की वृद्धि इस कुण्ड में स्नान करने से होती है।

बिजोलिया में मन्दाकिनी मंदिर के समीप तारा बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण भी वि.सं. 1226 के आस–पास ही करवाया गया हैं जैन मंदिर के परिचय के साथ ब्राह्मण संस्कृति के परिचायक उत्तामादि के तीर्थों का भी विवेचन इस लेख मे मिलता है, जैसे घटेश्वर, कुमारेश्वर, सौभागयेश्वर, दक्षिणेश्वर, मार्कण्ड और रिचेश्वर, औंकारेश्वर, ब्रह्म और महेश्वर, कुटिलेश्वर, कर्करेश्वर, कपिलेश्वर, महानाल, महाकाल, परमेश्वर श्री त्रिपुष्करत्व को प्राप्त मुखेश्चर, घटेश्वर, सिद्धेश्वर, कोटीश्वर आदि का वर्णन भी मिलता है तथा इन तीर्थों के कारण ही यहां अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष, अकाल नहीं थे, का भी परिचय प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त लेख से स्पष्ट है कि, बीजोलिया शिलालेख में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विद्यमान है जिससे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता हैं बिजोलिया क्षेत्र में वर्ष व्यवस्था विद्यमान थी, इसकी पुष्टि वहां पर प्राप्त अभिलेखों से होती है, यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के लोग निवास करते थे।ब्राह्मण को हिन्दू समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था ये धार्मिक कार्यों को सम्पादित करते थे।वैश्य आर्थिक दृष्टि से समाज के प्रमुख्य स्तम्भ तो थे ही, वे शासन के संचालन में भी भाग लेते थे। कभी–कभी मंत्री का पद भी दे दिया जाता था।था। क्षत्रिय केवल शस्त्र ही नहीं चलाते थे वरन् लेखन द्वारा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सृजन करते थे चौहान नरेश विग्रहराज का 'हरि केल नाटक' आज भी शिलालेखों पर अंकित मिलता है। शासक राजपूतजाति के होते थे।बिजोलिया क्षेत्र सम्पन्न एंव आर्थिक सुदृढ़ क्षेत्र था। इस कारण यहां पर अनेक कलात्मक बावड़ियां, तालाबों, मठों का निर्माण समय–समय पर होता रहा है।

मेनाल मठ के वि.सं. 1226 के एक अभिलेख के अनुसार ब्रह्ममुनि द्वारा शैव मठ का निर्माण करवाया गया।

बिजोलिया के अभिलेख से ज्ञात होता है कि, अजमेर में पुष्कर झील का निर्माण भी चाहमान शासकों ने करवाया।

बिजोलिया में रेवती नदी के किनारे पर रेवती कुण्ड का निर्माण करवाया गया, तत्कालीन जैन समाज में यह धारणा थी कि श्रीकुल, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, संतान और सुखादि की वृद्धि इस कुण्ड में स्नान करने से होती ळें

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *टॉड एल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान भाग –2, 206, 594*
2. *बीजोलिया का किसान आंदोलन, पृष्ठ –2*
3. *बीजोलिया का किसान आंदोलन, पृष्ठ –3*
4. *बीजोलिया का शिलालेख श्लोक, सं0 – 51*
5. *बीजोलिया का शिलालेख श्लोक, सं0 – 24*
6. *बीजोलिया का शिलालेख श्लोक, सं0 – 28*
7. *बीजोलिया का शिलालेख श्लोक, सं0 – 66*
8. *भीलवाड़ा गजेटियर – 1980*
9. *बीजोलिया का किसान आंदोलन, पृष्ठ – 17*
10. *अपना राजस्थान पृष्ठ 37–40, राजपूताने का इतिहास–गौरीशंकर हीराचन्द ओझा*
11. *राजपूताने का इतिहास पृष्ठ 15–16– गौरीशंकर हीराचन्द ओझा*
12. *भीलवाड़ गजेटियर, बीजोलिया का किसान आंदोलन, पृष्ठ –3*
13. बीजोलिया का किसान आंदोलन, पृष्ठ –3